दिनांक 23.11.2021 को जिला अधिकारी महोदय, चम्पावत की अध्यक्षता में आयोजित जिला उद्योग मित्र की बैठक का एजेण्डा

स्थानः– जिला कार्यालय सभागार, चम्पावत

उत्तराखण्ड शासन/निदेशक उद्योग उत्तराखण्ड देहरादून के निर्देशों के अनुपालन में जिला स्तरीय उद्योग मित्र की बैठक करने के निर्देश दिये गये है, ताकि जनपद में लग रहे उद्यमों की समस्याओं पर विचार विमर्श कर उनका निदान किया जा सके।

1– विभागीय प्रगति :– विभागीय योजनाओं में जनपद की प्रगति इस प्रकार है :–

(i) :– प्रधानंमत्री रोजगार सृजन कार्यकम (PMEGP) :– वर्ष 2021–22 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत तीनों एजेंसियों को भौतिक लक्ष्य 131 तथा वित्तीय लक्ष्य 395 लाख मार्जिन मनी प्राप्त हुआ है, जिसमें जिला उद्योग केन्द्र को भौतिक लक्ष्य 53 तथा वित्तीय लक्ष्य 159.81 लाख प्राप्त हुआ है। योजनान्तर्गत वर्तमान तक कुल 196 आवेदन पत्र कार्यालय को प्राप्त हुए है, जिनका परीक्षण कर आवेदनों को बैंकों को अग्रसारित करने संबंधित कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में जनपद में कुल 185 आवेदनों को बैंकों को अग्रसारित किया गया है, जिसमें से 79 आवेदन पत्र स्वीकृत कर दिये गये हैं। स्वीकृत आवेदनों में से 56 आवेदकों को बैंकों द्वारा ऋण वितरित कर दिया गया है। योजनान्तर्गत लक्ष्यों की शत्–प्रतिशत पूर्ति कर ली जायेगी।

(ii) :– मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) :– योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में जनपद हेतु 425 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 750 आवेदन कार्यालय में ऑनलाईन प्राप्त हुए हैं। आवेदनों का परीक्षण कर साक्षात्कार के उपरान्त बैंकों को अग्रसारित करने की कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान तक प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष 500 आवेदन बैंकों को प्रेषित किये जा चुके हैं जिसमें वित्तीय वर्ष 2021–22 में 251 आवेदन स्वीकृत व कुल 186 वितरित हो चुके हैं जिसमें 06 आवेदन बैकलॉग के है। माह दिसंबर, तक कार्यालय द्वारा 250 ऋण वितरण के प्रयास किये जा रहे हैं।

(iii) :– एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 :– आतिथि तक जनपद मे एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 के अन्तर्गत कुल 42 इकाईयां पंजीकृत हैं, जिनमें पूंजी विनियोजन 37.66 करोड़ तथा रोजगार 293 प्रस्तावित है। उक्त पंजीकृत इकाईयों में से 29 इकाईयां उत्पादन में आ चुकी है, जिनका पूंजी विनियोजन 23.31 करोड़ है और रोजगार 188 है।

(iv) :. उद्यम रजिस्टेशन – जनपद का वर्ष 2021–22 में उद्यम/औद्योगिक इकाईयों की स्थापना का भौतिक लक्ष्य 154 इकाइयों का प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष 340 उद्यम रजिस्ट्रेशन विभाग में सत्यापन हेतु प्राप्त हुए हैं जिसके सापेक्ष 110 सत्यापित हो चुके हैं।

(v) एकल खिड़की सुगमता व्यवस्था :– एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यालय में वर्तमान तक कुल 57 आवेदन पत्र ऑनलाइन प्राप्त हुये है। जिसमें से सभी 57 मामलो में सम्बन्धित विभागों से सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हो चुकी है। 57 आवेदन पत्रों में कुल धनराशि 62.54 करोड़ रू0 का निवेश प्रस्तावित है तथा रोजगार 471 व्यक्तियों का प्रस्तावित है। कार्यालय स्तर पर कोई भी आवेदन लंबित नहीं है।

2– विगत बैठक में लिए निर्णयों के सापेक्ष कार्यवाहीः–

22.11

विगत बैठक जो दिनांक 20.07.2021 को जिलाधिकारी महोदय, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई थी का कार्यवृत्त पत्र संख्या 420–29/उद्योग मित्र/बैठक/201–22 दिनांक 29 जुलाई, 2021 के द्वारा संबंधितों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है। कार्यालय स्तर पर तत्सम्बन्धित समस्याओं पर कार्यवाही की जा रही है।

1– विगत बैठक में मिनी औद्योगिक आस्थान के उद्यमी श्री महेश चन्द्र चौड़ाकोटी तथा श्रीमती निर्मला गहतोड़ी द्वारा मिनी औद्योगिक आस्थान में आ रही पानी की समस्या के बारे में अवगत कराया गया था कि पानी की समस्या के कारण उनके उद्योग ठीक से नहीं चल पा रहे हैं।

उक्त के संदर्भ में बैठक में अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियंता जल संस्थान, चम्पावत को निर्देश दिये गये थे कि मिनी औद्योगिक आस्थान का निरीक्षण कर उद्योगों को पानी की क्षमता के अनुसार आकलन कर आपूर्ति सुचारू की जाये। उक्त के क्रम में महोदय के निर्देशानुसार कार्यालय के पत्र संख्या 402/जि0उ0के0/2021–22 दिनांक 24 जुलाई, 2021 एवं पत्र संख्या 614/जि.उ.के./2021–22 दिनांक 06 सितंबर, 2021 के द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था। कार्यवाही गतिमान है।

2– मै0 कीर्ति इण्डिया बेवरेज, बनबसा, प्रो0 श्री सोनू सक्सेना द्वारा अपने पत्र संख्या शून्य दिनांक 20.07.2021 के माध्यम से उक्त इकाई मार्च, 2020 से कोविड–19 के कारण ठीक से नहीं चल पा रही है, जिस कारण उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है एवं धनराशि रू0 20 लाख की वित्तीय सहायता हेतु जिला उद्योग केन्द्र से निवेदन किया गया है। बैठक में समिति द्वारा निर्णय लिया गया था कि प्रकरण को उद्योग निदेशालय को प्रेषित किया जाये। उक्त प्रकरण के संदर्भ में कार्यालय के पत्र संख्या 932/जि.उ.के./2021–22 दिनांक 16 नवम्बर, 2021 के द्वारा उद्योग निदेशालय को पत्र प्रेषित किया गया है। कार्यवाही गतिमान है।

3– विगत बैठक में उपस्थित मै0 गणपति पैलेस चौडासेठी, चम्पावत के मैनेजिंग पार्टनर श्री नवीन चन्द्र गड़कोटी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि एम0एस0एम0ई नीति–2015 के अन्तर्गत उनकी इकाई को निवेश प्रोत्साहन सहायता रू0 40.00 लाख स्वीकृत हुआ था। स्वीकृत धनराशि आतिथि तक उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकरण पर सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया था कि इकाई को स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष बजट अभी प्राप्त नहीं हुआ है। बजट उपलब्धता पर धनराशि संबंधित इकाई को वितरित कर दी जायेगी। उक्त के क्रम में कार्यालय को बजट प्राप्त हो चुका है तथा उद्यमी को कार्यालय के पत्र संख्या 215–16 दिनांक 11.11.2021 माध्यम से प्रपत्र कार्यालय में जमा करने हेतु सूचित किया गया है। कार्यवाही गतिमान है।

4– एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 निवेश प्रोत्साहन सहायता के अन्तर्गत मै0 प्रकाश चन्द्र पाण्डे, हाईड्रोफोनिक फोडर एवं मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, पाटन, लोहाघाट के दावे पर समिति द्वारा दिनांक 20.07.2021 की बैठक में निर्णय लिया गया था कि दोनों गतिविधियों में से मेजर गतिविधि को एम0एस0एम0ई0 के अन्तर्गत निवेश प्रोत्साहन उपादान हेतु लिया जाये एवं संबंधित प्रकरण विशेष पर स्पष्ट उत्तर प्राप्त करने हेतु इकाई को पत्र प्रेषित किया जाये। उक्त प्रकरण पर पत्र संख्या 688–89/जि.उ.के./2021–22 दिनांक 23 सितंबर, 2021 के माध्यम से इकाई को पत्र प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में मेसर्स प्रकाश चन्द्र पाण्डेय, ग्राम पाटन, प्रो0 श्री प्रकाश चन्द्र पाण्डेय द्वारा अपने पत्र संख्या शून्य दिनांक 06.10.2021 के माध्यम से उनके द्वारा किये गये संपूर्ण निवेश पर उपादान की मांग की गयी है एवं अनुरोध किया गया है कि उद्योग मित्र बैठक में प्रकरण को पुनः विचार के लिए रखा जाये।

उक्त के क्रम में कार्यालय के प्रबंधक तथा अपर सांख्यिकीय अधिकारी/क्षेत्राधिकारी के माध्यम से इकाई का संयुक्त निरीक्षण करने पर वर्तमान में इकाई अकार्यरत पायी गयी है। इकाई को इस संबंध में सूचित किया गया है तथा पुनः संचालित होने पर प्रकरण समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जायेगा।

5 :– **मिनी औद्योगिक आस्थानः**– मिनी औद्योगिक आस्थान 2.29 एकड़ भूमि पर पुनेठी चम्पावत में स्थापित है। मिनी औद्योगिक आस्थान में कुल 34 भूखण्डों में से 29 उद्यमियों को भूखण्ड आवंटित किये गये हैं। जिसमें से केवल 06 उद्यमियों द्वारा कार्य किया जा रहा है तथा 21 उद्यमियों द्वारा अपनी कार्यशालाओं का निर्माण किया है। जिसमें से 12 उद्यमियों द्वारा मशीनें लगाने के उपरान्त इकाई बंद कर दी गयी है तथा 08 उद्यमियों द्वारा अभी तक मशीन आदि नहीं लगायी गयी है और न ही कोई कार्य किया गया है। इनके द्वारा औद्योगिक आस्थान में कार्यशालाएं किराये में रहने हेतु दिए गए हैं। 01 इकाई द्वारा भूमि समलतीकरण किया गया है।

विगत बैठक में अकार्यरत इकाईयों को नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया था, जिसके सापेक्ष कार्यालय द्वारा पत्र प्रेषित किए गए।

मिनी औद्योगिक आस्थान, पुनेठी में 05 इकाईयां जिनके द्वारा किस्त ससमय पर नहीं आ रही है निम्नवत हैः–

1. मै0 बाराही टिन इण्डस्ट्रीज प्रो0 श्री अमर सिंह चमियाल।
2. मै0 लधौनधूरा मसाला उद्योग, प्रो0 श्री मोहन चन्द्र गड़कोटी।
3. मै0 गड़कोटी लौह उद्योग, प्रो0 श्री प्रकाश चन्द्र गडकोटी।
4. मै0 पंगरिया नमकीन प्रो0 श्री माधवानन्द पंगरिया।
5. मै0 बगौली फर्नीचर उद्योग, प्रो0 श्री सुभाष चन्द्र बगौली।

दिनांक 11.10.2021 को क्षेत्राधिकारी द्वारा मिनी औद्योगिक आस्थान, पुनेठी चम्पावत का निरीक्षण करने पर इकाईयों की स्थिति पायी गयी।

क्र. सं.	इकाई का नाम	आवंटित भूखण्ड संख्या	वर्तमान अवस्था	अभ्युक्ति
1	मै0 श्री राम लघु उद्योग प्रो0 जीवन चन्द्र बिष्ट।	1,2,3,4	कार्यरत	
2	मे0 बगौली फर्नीचर, मि0औ0आ0, पुनेठी, प्रो0 श्री सुभाष बगौली।	05	अकार्यरत	कार्यालय पत्र संख्या 454–57/जि0उ0 के0/मि0औ0आ0/2021–22 दिनांक 31 जुलाई, 2021 एवं पत्र संख्या 834–35 /मि.औ.आ./जि.उ.के./2021–22 दिनांक 26.10.2021 के द्वारा भूखण्ड की किस्त जमा करने एवं उद्योग प्रारम्भ करने हेतु लिखा गया है। परंतु आतिथि तक भूखण्ड की किस्ते जमा नहीं की गयी है।
3	मे0 होटल प्रिया, पुनेठी। प्रो0 श्री गिरीश चन्द्र तिवारी।	08	अकार्यरत	कार्यालय के पत्र संख्या 808–28/जि.उ.के. /2021–22 दिनांक 26.10.2021 के द्वारा इकाई कार्यरत करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया है।
4	मै0 न्यू शाह मोटर्स।प्रो0 श्री सुधीर चन्द्र शाह	9	कार्यरत	–
5	मै0 पुनेठा ऑफसेट। प्रो0 श्री मनीष पुनेठा।	10	कार्यरत	–
6	मे0 हरे कृष्णा गमला उद्योग, पुनेठी। प्रो0 श्री नरेनद्र मोहन जोशी।	11	अकार्यरत	कार्यालय के पत्र संख्या 808–28/जि.उ.के. /2021–22 दिनांक 26.10.2021 के द्वारा

				इकाई कार्यरत करने के लिए पत्र प्रेषित किया जा गया है।
7	मे0 जयदुर्गे फर्नीचर उद्योग।प्रो0 श्री नारायण दत्त जोशी।	12	अकार्यरत	कार्यालय के पत्र संख्या 808–28/जि.उ.के./2021–22 दिनांक 26.10.2021 के द्वारा इकाई कार्यरत करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया है।
8	मे0 होटल केशव, पुनेठी। प्रो0 श्रीमती निर्मला गहतोड़ी।	13,14,15	अकार्यरत	कार्यालय के पत्र संख्या 808–28/जि.उ.के./2021–22 दिनांक 26.10.2021 के द्वारा इकाई कार्यरत करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया है। इस क्रम में मै0 होटल केशव, प्रो0 श्रीमती निर्मला गहतोड़ी ने अपने पत्र संख्या शून्य दिनांक 29.10.2021 के द्वारा अवगत कराया है कि मेरा होटल केशव 2007 से चल रहा है जिसका विवरण मेरे पास है। नोटबंदी और कोरोना काल में कस्टमर नहीं आये, वर्तमान में भी मेरे पास 2 या 3 कस्टमर रहते है।
9	मे0 अधिकारी सीमेंट ब्लॉक, पुनेठी। प्रो0 श्री खुशाल सिंह अधिकारी।	16	अकार्यरत	पूर्व में कार्यालय के पत्र संख्या 442–44/जि.उ.के./मि.औ.आ./2021–22 दिनांक 31.07.2021 के द्वारा इकाई कार्यरत करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र के क्रम में इकाई द्वारा अपने पत्र शून्य दिनांक 09.08.2021 के द्वारा सीमेंट ब्लॉक उद्योग के स्थान पर होटल व्यवसाय उद्योग स्थापित करने के लिए लिखा है। उक्त के क्रम में कार्यालय के पत्र संख्या 841–42/मि.औ.आ./जि.उ.के./2021–22 दिनांक 27.10.2021 के द्वारा इकाई को अवगत करा दिया गया है कि मिनी/बृहद औद्योगिक आस्थानों में भूमि का आवंटन केवल विनिर्माणक उद्योग की स्थापना के लिए किया जायेगा। विनिर्माण से संबंधित उद्योग की स्थापना के लिए प्रस्ताव कार्यालय में प्रेषित करें।
10	मे0 बाराही टिन बर्क्स, पुनेठी। प्रो0 श्री अमर सिंह चमियाल।	17	अकार्यरत	कार्यालय के पत्र संख्या 445/जि.उ.के./मि0औ0आ0/2021–22 दिनांक 31 जुलाई, 2021 के द्वारा इकाई को भूखण्ड की शेष किस्त जमा करने, उद्योग कार्यरत करने एवं बिना विभाग की अनुमति के भूखण्ड किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया इस विषयक स्पष्टीकरण एक सप्ताह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। उद्योग प्रारम्भ करने हेतु पुनः कार्यालय के पत्र संख्या 808–28/जि.उ.के./2021–22 दिनांक 22.10.2021 के द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था।

11	मे0 अंकुर इलेक्ट्रानिक्स। प्रो0 श्री उमाकांत राय।	18	अकार्यरत	कार्यालय के पत्र संख्या 442–44/जि0उ0 के0/मि0औ0आ0/2021–22 दिनांक 31 जुलाई, 2021 एवं पत्र संख्या 808–28/जि.उ. के./2021–22 दिनांक 22.10.2021के द्वारा उद्योग प्रारम्भ करने हेतु लिखा गया है।
12	मे0 खर्कवाल इंजीनियरिंग उद्योग। प्रो0 श्री उमेश चन्द्र खर्कवाल।	19	अकार्यरत	उपरोक्त
13	मे0 पार्वती मसाला। प्रो0 श्री नवीन चन्द्र उप्रेती	20	कार्यरत	–
14	मे0 सावित्री फूड संरक्षण उद्योग। प्रो0 श्री महेश चन्द्र चौडाकोटी।	21	अकार्यरत	कार्यालय के पत्र संख्या 442–44/जि0उ0 के0/मि0औ0आ0/2021–22 दिनांक 31 जुलाई, 2021 के माध्यम से इकाई कार्यरत के हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। पत्र के क्रम में इकाई के प्रो0 श्री महेश चन्द्र चौड़ाकोटी द्वारा अपने पत्र संख्या शून्य दिनांक 21.08.2021 के द्वारा कार्यालय को अवगत कराया है कि पूर्व में कोरोना अवधि से पूर्व पी0एम0ई0जी0पी0 के अन्तर्गत अदरक जींजर एवं फल संरक्षण के लिए नैनीताल बैंक चम्पावत को 25 लाख रू0 की परियोजना भेजी गयी थी। आवेदन करने के उपरान्त कोरोना महामारी के कारण ऋण नहीं लिया गया है। श्री महेश द्वारा पुनः परियोजना को बैंक को भेजने का अनुरोध किया गया है।
15	मे0 उर्मिला होजरी उद्योग। प्रो0 श्री जगदीश चन्द्र पुनेठा।	22	अकार्यरत	कार्यालय के पत्र संख्या 442–44/जि0उ0 के0/मि0औ0आ0/2021–22 दिनांक 31 जुलाई, 2021 एवं पत्र संख्या 808–28/जि.उ. के./2021–22 दिनांक 22.10.2021के द्वारा उद्योग प्रारम्भ करने हेतु लिखा गया है।
16	मे0 अमन इण्टरप्राइजेज। प्रो0 श्री ओमप्रकाश पाण्डे।	23	अकार्यरत	उपरोक्त
17	मे0 अंकित इलेक्ट्रॉनिक। प्रो0 श्री कैलाश चन्द्र ओली।	24	अकार्यरत	उपरोक्त
18	मे0 महेश ढेक बेकर्स। प्रो0 श्री महेश ढेक।	25	अकार्यरत	कार्यालय के पत्र संख्या 442–44/जि0उ0 के0/मि0औ0आ0/2021–22 दिनांक 31 जुलाई, 2021 के द्वारा उद्योग प्रारम्भ करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। पत्र के क्रम में इकाई द्वारा अपने पत्र संख्या शून्य दिनांक 06.09.2021 के माध्यम से अवगत कराया है कि इकाई का नाम महाकाली बेकर्स के स्थान पर महाकाली फर्नीचर उद्योग किया जाना है साथ ही यह अनुरोध किया गया है कि मेरे पार्टनर श्री भूपाल सिह महराना के नाम उक्त भूखण्ड आवंटित किये जाने हेतु लिखा गया है।
19	मे0 विजय टायर रिट्रेडिंग। प्रो0 श्री	26	कार्यरत	–

	विजय चौधरी।			
20	मे0 श्रीराम फल संरक्षण। प्रो0 श्री महेश चन्द्र चौड़ाकोटी	27	कार्यरत	–
21	मे0 लधौनधूरा मसाला। प्रो0 श्री मोहन चन्द्र गड़कोटी	28	अकार्यरत	कार्यालय के पत्र संख्या 450–53/जि0उ0के0/मि0औ0आ0/2021–22 दिनांक 31 जुलाई, 2021 के द्वारा इकाई को भूखण्ड की शेष किस्ते जमा करने एवं उद्योग प्रारम्भ करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। साथ ही उक्त पत्र में मै0 लधौनधूरा मसाला उद्योग, प्रो0 श्री मोहन चन्द गड़कोटी को आवंटित भूखण्ड बिना विभाग की अनुमति के श्री तुलसीराम शर्मा को भूखण्ड बेचे जाने संबंधित प्रकरण हेतु भी लिखा गया था। पत्र के क्रम में दिनांक 20.07.2021 को संपन्न हुई उद्योग मित्र की बैठक में अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार श्री तुलसी प्रसाद शर्मा द्वारा पत्र संख्या शून्य दिनांक शून्य के द्वारा अवगत कराया था कि उक्त इकाई के प्रो0 श्री मोहन चन्द्र गड़कोटी द्वारा स्वास्थ्य ठीक न होने एवं व्यस्तता के कारण मुझे देख–रेख एवं विपणन हेतु पारिश्रामिक के तौर पर रखा गया है। इकाई कार्यरत करने एवं भूखण्ड की किस्त जमा करने हेतु पुनः कार्यालय के पत्र संख्या 838–39/मि.औ.आ./जि.उ.के./2021–22 दिनांक 26.10.2021 के द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था, परंतु आतिथि तक भूखण्ड की शेष किस्त जमा नहीं की गयी है।
22	मे0 पंगरिया दाल एवं नमकीन उद्योग। प्रो0 श्री माधवानंद पंगरिया।	29	अकार्यरत	कार्यालय के पत्र संख्या 442–44/जि0उ0 के0/मि0औ0आ0/2021–22 दिनांक 31 जुलाई, 2021 के द्वारा उद्योग प्रारम्भ करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। पत्र के क्रम में इकाई द्वारा अपने पत्र दिनांक 23.08.2021 के माध्यम से अवगत कराया है कि पारिवारिक कारणों के कारण कार्य रोकना पड़ा था। इस बीच में कोरोना महामारी के कारण व बरसात में नमकीन का कार्य मंदा होने के कारण इकाई कार्यरत करने के लिए कुछ समय देने के लिए अनुरोध किया गया है।
23	मे0 सूरज मार्बल उद्योग। प्रो0 श्रीमती कमला बोहरा	30	अकार्यरत	कार्यालय के पत्र संख्या 442–44/जि0उ0 के0/मि0औ0आ0/2021–22 दिनांक 31 जुलाई, 2021 एवं पत्र संख्या 808–28/जि.उ.के./2021–22 दिनांक 22.10.2021के द्वारा उद्योग प्रारम्भ करने हेतु लिखा गया है। पत्र के क्रम में इकाई द्वारा अपने पत्र संख्या शून्य

				दिनांक शून्य के द्वारा अवगत कराया है कि हमारे द्वारा सूरज मार्बल उद्योग लगाया गया है जिसके अन्दर मार्बल पत्थर रखा गया है तथा कार्य चलता है, बाजार की डिमांड के अनुसार मांग पूरी की जाती है एवं वर्तमान में उद्योग संचालित है।
24	मे0 विश्वकर्मा मूर्ति उद्योग। प्रो0 श्री नवीन राम आर्य।	31	अकार्यरत	कार्यालय के पत्र संख्या 442–44/जि0उ0 के0/मि0औ0आ0/2021–22 दिनांक 31 जुलाई, 2021 एवं पत्र संख्या 808–28/जि.उ. के./2021–22 दिनांक 22.10.2021 के द्वारा उद्योग प्रारम्भ करने हेतु लिखा गया है।
25	मे0 सार लेदर प्रोडेक्ट। प्रो0 श्री राजेश ढाकरे	32	अकार्यरत	कार्यालय के पत्र संख्या 442–44/जि0उ0 के0/मि0औ0आ0/2021–22 दिनांक 31 जुलाई, 2021 एवं पत्र संख्या 808–28/जि.उ. के./2021–22 दिनांक 22.10.2021 के द्वारा उद्योग प्रारम्भ करने हेतु लिखा गया है।
26	मे0 अमर ज्योति मसाला। प्रो0 कु0 मीना कनौजिया	33	वर्तमान में अकार्यरत मशीनरी स्थापित है।	उद्योग प्रारम्भ करने पत्र संख्या 836–37/मि. औ.आ./जि.उ.के./2021–22 दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 के द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र के क्रम में इकाई की प्रो0 कु0 मीना कनौजिया द्वारा अवगत कराया गया है कि उनका एक्सीडेंट होने के कारण उन्हें इकाई बंद करनी पड़ी एवं उपचारार्थ हेतु दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली से वापस आने पर छत से बरसात का पानी लीकेज होने के कारण इकाई में लगी मशीनें क्षतिग्रस्त हो गयी है, जिस कारण वह छत की मरम्मत करवा रही है। मरम्मत पूर्ण होने के पश्चात इकाई शुरू कर देंगी।
27	मे0 लौह कला उद्योग। प्रो0 प्रकाश चन्द्र गड़कोटी	34	अकार्यरत	कार्यालय के पत्र संख्या 442–44/जि0उ0 के0/मि0औ0आ0/2021–22 दिनांक 31 जुलाई, 2021 एवं पत्र संख्या 808–28/जि.उ. के./2021–22 दिनांक 22.10.2021के द्वारा उद्योग प्रारम्भ करने हेतु लिखा गया है।
28	मे0 कगास कालीन उद्योग। प्रो0 श्री रवीश जोशी	35	अकार्यरत	कार्यालय के पत्र संख्या 442–44/जि0उ0 के0/मि0औ0आ0/2021–22 दिनांक 31 जुलाई, 2021 के द्वारा उद्योग प्रारम्भ करने हेतु लिखा गया है। पत्र के क्रम में इकाई द्वारा अपने पत्र संख्या शून्य दिनांक 16.08.2021 के द्वारा अवगत कराया गया कि कोविड–19 के कारण यह उद्योग संचालित नहीं किया जा सका अगले तीन माह के अन्तर्गत कार्यशील पूंजी की व्यवस्था कर इस उद्योग को संचालित किया जायेगा। पुनः इकाई कार्यरत करने के लिए पत्र संख्या 808–28/जि.उ.के.

				/2021–22 दिनांक 22.10.2021 के द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है।
29	मे0 जानकी रेडीमेड गारमेंट्स। प्रो0 श्रीमती जानकी चौबे।	36	अकार्यरत	कार्यालय के पत्र संख्या 442–44/जि0उ0 के0/मि0औ0आ0/2021–22 एवं दिनांक 31 जुलाई, 2021 के द्वारा उद्योग प्रारम्भ करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। पत्र के क्रम में इकाई द्वारा अपने पत्र संख्या शून्य दिनांक 16.08.2021 के द्वारा अवगत कराया गया है कि पूंजी के अभाव में अपना उद्योग स्थापित नहीं कर सकी, उद्योग स्थापित करने हेतु 06 माह के समय के लिए अनुरोध किया गया है। एवं पत्र संख्या 808–28/जि.उ.के./2021–22 दिनांक 22.10.2021 के द्वारा उद्योग प्रारम्भ करने हेतु लिखा गया है। इकाई के प्रो0 श्रीमती जानकी चौबे के पत्र संख्या शून्य दिनांक 20.11.2021 के माध्यम से पुनः अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा वर्कशेड का निर्माण करा दिया गया है एवं कच्चा माल बाहर से लाने एवं कुशल कारीगरों के अभाव में गुणवत्तायुक्त उत्पाद के अभाव होने के कारण विपणन की समस्या के दृष्टिगत उद्योग प्रारम्भ नहीं कर सकी हैं।

3– नवीन बिन्दु :–

1. जनपद में उद्यमियों एवं औद्योगिक इकाईयों के लिये सुरक्षित एवं शान्तिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना तथा उसकी व्यक्तिगत समस्याओं के निदान हेतु कार्यवाही करना– वर्तमान में इस कार्यालय में किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा इस संबंध में कोई समस्या नहीं बतायी गयी है।

2. आवश्यकता अनुसार राज्य स्तर पर मामलों को संदर्भित करना– वर्ष 2021–22 में राज्य स्तर हेतु प्रेषित किये जाने वाला कोई प्रकरण के संबंध में, कार्यालय को कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

3. रूग्ण इकाईयों के सम्बन्ध में विस्तृत कार्यवाही के साथ व्यक्तिगत मामलों पर सुस्पष्ट प्रस्ताव जिला स्तरीय उद्योग मित्र द्वारा निर्णित करना– जनपद में किसी भी इकाई का रूग्ण घोषित करने हेतु कोई आवेदन पत्र प्राप्त नही हुआ है।

4. उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों हेतु घोषित विशेष एकीकृत औद्यौगिक प्रोत्साहन नीति–2008 के तहत प्राप्त उपादान दावे :– योजनान्तर्गत इकाईयों के विभिन्न उपादानों (ब्याज प्रोत्साहन, विद्युत प्रोत्साहन एवं अन्य) की स्वीकृति हेतु जिला स्तरीय उद्योग मित्र की उपसमिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर सक्षम समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त नीतियों के तहत निम्नांकित योजनान्तर्गत दावे प्राप्त हुए है।

(i)– विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 के अन्तर्गत विशेष ब्याज उपादान प्रोत्साहन सहायता योजना– राज्य सरकार द्वारा विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 यथा संशोधित 2011 के तहत नीति के अनुसार स्थापित उद्यमों को उनके द्वारा उद्यम स्थापानार्थ लिये गये ऋण पर 6 प्रतिशत की दर से ब्याज में प्रोत्साहन दिये जाने का प्राविधान है, इस नीति के अन्तर्गत 01.04.2008 से 31.03.2018 तक स्थापित पात्र इकाईयों को ब्याज में प्रोत्साहन देय है।

उक्त योजना के अन्तर्गत वर्तमान में 03 इकाईयों के दावे प्राप्त हुए जो निम्नांकित है।

क्र. सं	इकाई का नाम	प्राप्त दावों की अवधि एवं संख्या	दावाकृत ब्याज की धनराशि	अनुमन्य ब्याज उपादान की धनराशि
1	मेसर्स होटल एन ग्रीन सिटी, खटकना पुल, चम्पावत, प्रो0 श्री सज्जन लाल वर्मा।	दिनांक 01.07.2021 से 30.09.2021 तक के 01 त्रैमासिक दावा	रू0 43,273.00	रू0 26,185.00
2	मेसर्स होटल शिवा रेजीडेंसी, जी0आई0सी0 चौक चम्पावत, प्रो0 श्री शंकर दत्त पाण्डे	दिनांक 01.07.2021 से 30.09.2021 तक के 01 त्रैमासिक दावा	रू0 68,114.00	रू0. 44,377.00
3	मेसर्स रियल फ्रेश, ग्राम– फोर्ती, लोहाघाट जिला चम्पावत पार्टनर श्रीमती दिशा पुनेठा	दिनांक 01.10..2019 से 30.09.2021 तक के 08 त्रैमासिक दावे	रू0 10,26,212.00	रू0 3,48,261.00

उक्त दावों पर समिति द्वारा अनुमोदन होना है।

4– अन्य बिन्दु/अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

22.11

GM DIC